न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 75 / 2022 **दायर दिनांकः 09.06.2022**

रजि0 नं0—2022 / 139

उनवान

1. विनोद कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र तोलाराम जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. हरीशंकर आयु 50 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. हीरालाल आयु 65 वप्र पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. रामभरोसी आयु 42 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि जोधराज जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
4. शाखा प्रबंधक महोदय क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री अमरसिंह कुशवाह
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर प्रति0 क्रम 3

निर्णय **दिनांक 30 / 06 / 2023**

पत्रावली कोर्ट कैम्प सहरोद में पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के शामलाती खाते की आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाके ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 571 का ख0नं0 1086 / 1724 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1087 का

रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1314/1777 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 573 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.46 है0 आराजी स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का शामलाती खाता होने की वजह से आये दिन कृषि विकास कार्य करवाने, लगान राज अदायगी के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए वादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पडता है। इस कारण वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन कराने बाबत प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी से स्पष्ट मना कर दिया और लडाई झगडा पर आमादा हुये। बिना सहायता न्यायालय खाता विभाजन करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर वादी का हिस्सा पृथक से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है, यदि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर आराजी हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार वादी के पृथक से खाते दर्ज नहीं की गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार अपने खाते पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.05.2022 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से खाता विभाजन करने करने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 05.06.2022 को उनके द्वारा खाता विभाजन की स्पष्ट मना कने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम सहरोद तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने प्रतिवादी क्रम 4 बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जेड से अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण ले रखा है। इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 4 पक्षकार दर्ज किया गया है। बाद खाता विभाजन बैंक के ऋण का नोट संबंधित खातेदार के खाते पर अंकित किया जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद विभाजन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश हे जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर वादी का हिस्सा 1/4 कब्जे काश्त के अनुसार वादी के पृथक से खाते दज्र की जावे।

(ब) बाद खाता विभाजन बैंक ऋण का नोट संबंधित खातेदार के खाते पर अंकित किया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। **प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प सहरोद मे वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से धारा 53 (2)(i) आर0टी0एक्ट0** के अधीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर 2 गवाह अनिल नागर एवं सतीश नागर की उपस्थिति में राजीनामा पेश कर विवादित आराजी का विभाजन करने का निवेदन किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में प्रकरण की ऑडरशीट पर हस्ताक्षर कर सहमति दी। आपसी सहमति के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कोर्ट कैम्प सहरोद में धारा 53(2) आर0टी0एक्ट के अधीन पेश व तस्दीक सहमति बटवारे के अनुसार ख0नं0 573 रकबा 0.10 है0 वादी विनोद कुमार पुत्र तौलाराम धाकड एवं शेष ख0नं0 1086/1724 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1087 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 1314/1777 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 प्रतिवादीगण हीरालाल, हरिशंकर, रामभरोषी पुत्रान श्रीकृष्ण के खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। अतः जब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य धारा 53 (2)(i) आर0टी0एक्ट0 के अधीन खाता विभाजन पर आपसी सहमति है तो फिर तनकीयात कायम कर साक्ष्य पेश करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

3. वादी एवं प्रतिवादीगण की खाता विभाजन पर आपसी सहमति के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश ग्राम सहरोद की जमाबन्दी संवत 2073—76 के अनुसार खाता संख्या 571 का ख0नं0 1086/1724 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1087 का रकबा 0.15 है0,

ख0नं0 1314/1777 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 573 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज है।

4. ग्राम सहरोद की जमाबन्दी संवत 2073–76 से स्पष्ट है कि ग्राम सहरोद के खाता संख्या 571 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुंजेड से कृषि ऋण ले रखा है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पृथक हुए हिस्सो पर नियमानुसार प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में रहन का नोट पूर्ववत रखा जावे।

5. ग्राम सहरोद की उक्त विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति विभाजन करवाना चाहते है। सहमति खाता विभाजन तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया जा चुका है और इसलिए धारा 53 के प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक है। अतः धारा 53 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधान निम्नानुसार है–

A division of holding shall be effected in the following manner-

(i) by agriment between the co-tenants in respect of- (a) Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided,

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सहरोद के खाता संख्या 571 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि के संबंध में पेश वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व सहमति के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। पेश राजीनामा दिनांक 30.06.2023 के आधार पर ग्राम सहरोद की विवादित आराजी ख0 नं0 573 रकबा 0.10 है0 वादी विनोद कुमार पुत्र तौलाराम धाकड एवं शेष आराजी ख0नं0 1086/1724 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1087 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 1314/1777 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 प्रतिवादीगण हीरालाल, हरिशंकर,

रामभरोषी पुत्र/पुत्री श्रीकृष्ण के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन का नोट संबंधित खातेदार के हिस्से पर पूर्ववत रखा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत कोर्ट केम्प सहरोद उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 75/2022 **दायर दिनांकः 09.06.2022**
रजि0 नं0–2022/139

उनवान

1. विनोद कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र तोलाराम जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. हरीशंकर आयु 50 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. हीरालाल आयु 65 वष्र पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. रामभरोसी आयु 42 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि जोधराज जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
4. शाखा प्रबंधक महोदय क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....ग..... रूबरू.....ग.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री अमरसिंह कुशवाह
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर प्रति0 कम 3

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। पेश राजीनामा दिनांक 30.06.2023 के आधार पर ग्राम सहरोद की विवादित आराजी ख0 नं0 573 रकबा 0.10 है0 वादी विनोद कुमार पुत्र तौलाराम धाकड एवं शेष आराजी ख0नं0 1086/1724 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1087 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 1314/1777 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 प्रतिवादीगण हीरालाल, हरिशंकर, रामभरोषी पुत्र/पुत्री श्रीकृष्ण के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेशित दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन का नोट संबंधित खातेदार के हिस्से पर पूर्ववत रखा जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)